

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 1948 / 11-सी-FP/UP/water/150514/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 08, 2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उ०प्र०,
लखनऊ।

विषय:— जनपद-झांसी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम-गुलारा, तिलैथा एवं बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 6.2793 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:— भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/168/2022/एफ०सी०/741, दिनांक 07.12.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर सूचना माँगी गयी है, जिसमें से बिन्दु सं०-1 निम्नानुसार है:—

“Comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.”

अतः भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2022 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं०-01 के क्रम में वांछित सूचना/टिप्पणी संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 1948 / 11-सी-FP/UP/water/150514/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी।

15
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलिगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०८/168/2022/एफ.सी./741

दिनांक: 07.12.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Water/150514/2021

विषय: जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैया एवं बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित 6.2793 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवैधानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 1707/11-सी-FP/UP/water/150514/2021
दिनांक 15.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-164/81-2-2022-800(202)/2022 दिनांक 17.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 73.1 (UP) सम्मिलित किया गया था। प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई एवं निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निम्नलिखित सूचना प्रेषित की जाए—

- 1- Comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.
- 2- CA scheme and related documents (.kml File, land suitability certificate etc.) shall be provided for an area of 13.40 ha in Baghaura Forest Block (as per scheme submitted with the proposal) and shall be uploaded on PARIVESH portal.

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 1947 /11-सी-FP/UP/water/150514/2021, लखनऊ, दिनांक दिसम्बर ०८, 2022

प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।